झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषयः-- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-4 में राज्य स्तर पर की जाने वाली सीधी नियुक्तियों के लिए निम्नवत् आरक्षण की व्यवस्था है :-

(i)	अनुसूचित जाति	-	14 प्रतिशत
(ii)	अनुसूचित जनजाति	-	32 प्रतिशत
(iii)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-	18 प्रतिशत
(iv)	पिछड़ा वर्ग	-	9 प्रतिशत
	कुल	-	73 प्रतिशत

2. उपर्युक्त आरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) के द्वितीय परन्तुक में प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किए जाने का प्रावधान है ।

3. इस प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर निम्न अनुसार आरक्षण का उपबन्ध किया जाए : -

(i)	अनुसूचित जाति	-	14 प्रतिशत
(ii)	अनुसूचित जनजाति	-	32 प्रतिशत
	कुल	-	46 प्रतिशत

4. उपर्युक्त अधिनियम की धारा (6) उपधारा - (1) में सरकारी सेवाओं/पदों में प्रोन्नति हेतु 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर निर्धारित करने

का भी उपबन्ध है । अतएव 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर परिशिष्ट–1 के रूप में संकल्प के साथ संलग्न है ।

आदेश :– आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

8-2-2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-5/आ०(रोस्टर)-03/2001का०..994../रांची, दिनांक- 8 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजे ।

8-2-2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-5/आ०(रोस्टर)-03/2001का०..994../रांची, दिनांक- 8 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-2-2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 5/आ०(रोस्टर)-03/2001का०...994.../रांची, दिनांक- 8 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, विधानसभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-2-2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट – "क"

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों में 50 बिन्दुओं का रोस्टर

1. अनारक्षित
2. अनुसूचित जनजाति
3. अनारक्षित
4. अनुसूचित जनजाति
5. अनारक्षित
6. अनुसूचित जाति
7. अनारक्षित
8. अनुसूचित जनजाति
9. अनारक्षित
10. अनुसूचित जनजाति
11. अनारक्षित
12. अनुसूचित जाति
13. अनारक्षित
14. अनुसूचित जनजाति
15. अनारक्षित
16. अनुसूचित जनजाति
17. अनारक्षित
18. अनारक्षित
19. अनारक्षित
20. अनुसूचित जाति
21. अनारक्षित
22. अनुसूचित जनजाति
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जनजाति
25. अनारक्षित
26. अनुसूचित जाति
27. अनारक्षित
28. अनुसूचित जनजाति
29. अनारक्षित
30. अनुसूचित जनजाति
31. अनारक्षित
32. अनुसूचित जाति
33. अनारक्षित
34. अनुसूचित जनजाति
35. अनारक्षित
36. अनुसूचित जनजाति
37. अनारक्षित
38. अनुसूचित जाति
39. अनारक्षित
40. अनारक्षित
41. अनारक्षित
42. अनुसूचित जनजाति
43. अनारक्षित
44. अनुसूचित जनजाति
45. अनारक्षित
46. अनुसूचित जाति
47. अनारक्षित
48. अनुसूचित जनजाति
49. अनारक्षित
50. अनुसूचित जनजाति